रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1982/आश्विन 23, 1904
No. 302] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1982/ASHVINA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1982

(सं० 219/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 613(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त विभाग (केन्द्रीय राजस्व) की अधिसूचना सं० 16/41-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 अप्रैल, 1941 को अधिक्रान्त करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 16 की, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, उपमदों के अन्तर्गत आने वाले टायरों को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से जितनी उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, उसके स्तम्भ (4) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में अधिकथित शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	टायरों का वर्णन	दर	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I(1)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(1) के अन्तर्गत आने वाले दो पहियों और तीन पहियों वाले मोटर यानों के लिए टायर	कुछ नहीं	यदि— (i) ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो यह समाधान हो जाता है कि ऐसे टायर ऐसे दो पहियों और तीन पहियों वाले मोटर यानों के विनिर्माताओं द्वारा ऐसे मोटरयानों में भूल उपस्कर टायरों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ii) ऐसे टायरों पर "मू० उ०" स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया गया है; और (iii) ऐसे टायरों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
2.	II(1)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(i) के अन्तर्गत आने वाले दो पहियों या तीन पहियों वाले मोटरयानों अर्थात् स्कूटरों, मोटर साइकिलों, मोपेड और आटो साइकिलों के लिए टायर।	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत	
3.	I(1)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1 (1) के अन्तर्गत आने वाली शक्ति चालित साइकिलों और शक्ति चालित रिक्शों के लिए टायर	कुछ नहीं	
4.	I(1)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 1(i) के अन्तर्गत आने वाली सैलून कारों के लिए टायर	कुछ नहीं	यदि— (i) ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे टायर ऐसी सैलून कार के विनिर्माताओं द्वारा ऐसी कार में मूल उपस्कर टायरों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित है; (ii) ऐसे टायरों पर "मू०उ०" स्पष्ट रूप में चिन्हांकित किया गया है; और (iii) ऐसे टायरों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
5.	I(2)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद II के अन्तर्गत आने वाले कृषि ट्रैक्टरों के लिए टायर (जिनके अन्तर्गत फ्लैप नहीं हैं)	कुछ नहीं	यदि— (i) ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे टायर ऐसे कृषि ट्रैक्टरों के विनिर्माता द्वारा ऐसे ट्रैक्टरों में मूल उपस्कर टायरों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं; (ii) ऐसे टायरों पर "मू० उ०" स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया गया है; और (iii) ऐसे टायरों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।
6.	I(2)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद II के अन्तर्गत आने वाले ट्रैक्टरों के लिए, जिनके अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर हैं, टायर	मूल्य का पच्चीस प्रति शत	
7.	I(3)	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद III के अन्तर्गत आने वाले ट्रैलरों के लिए टायर—		
		(i) कृषि ट्रैक्टरों के ट्रैलरों के लिए टायर	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत	
		(ii) ट्रैक्टरों के ट्रैलरों के लिए निम्नलिखित आकार के टायर— 7.50—16 और 9.50—16	मूल्य का पच्चीस प्रतिशत	
8.	II.	उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली साइकिलों और साइकिल रिक्शों के लिए टायर।	कुछ नहीं	—
9.	III	पशु कर्षित यानों या हस्त गाड़ियों के उपयोग	कुछ नहीं	परन्तु यह तब जब कि प्रत्येक ऐसे टायर पर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए टायर।		"प० का०या०" अक्षरों का स्थायी स्पष्ट चिन्हांकन किया गया हो।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कृषि ट्रैक्टरों" से अभिप्रेत है—

(i) ड्रा बार हार्सपावर 50 और उससे कम का ट्रैक्टर;

(ii) ड्रा बार हार्सपावर 50 से अधिक का ट्रैक्टर, यदि ऐसे अधिकारी का, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा ट्रैक्टर कृषि के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किया जाता है;

(ख) "शक्ति चालित साइकिल" या "शक्ति चालित साइकिल रिक्शा" से, यथास्थिति, ऐसी यंत्रनोदित साइकिल या यंत्रनोदित साइकिल रिक्शा अभिप्रेत है जिसे आवश्यकता पड़ने पर पैडल से भी चलाया जा सकता है।

[फा० सं० [illegible]]
वी० लक्ष्मीकुमारन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi the 15th October, 1982

NO.229/81-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 613(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India, Finance Department (Central Revenues) No. 16/41-Central Excises, dated the 1st April, 1941, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby exempts tyres of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 16 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof:

TABLE

S. No.	Sub-item	Description of tyres	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I(1)	Tyres for two-wheeled and three wheeled motor vehicles, falling under sub-item I(1) of Item No. 34 of the said First Schedule	Nil.	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tyres are intended to be used as original equipmen tyres in such two-whee[illegible] ree-wheeled motor-vehicles respectively by the manufacturers of such motor vehicles; (ii) such tyres have been prominently marked "O.E."; and (iii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed in respect of such tyres.
2.	I(1)	Tyres for two-wheeled motor vehicles, falling under sub-item I(1) of Item No. 34 of the said First Schedule, namely, scooters, motor cycles, mopeds and auto-cycles.	Twenty-five per cent ad valorem	
3.	I(1)	Tyres for powered cycles and powered cycle rickshaws falling under sub-item I(1) of Item No. 34 of the said First Schedule	Nil	
4.	I(1)	Tyres for saloon cars, falling under sub-item I(2) of Item No. 34 of the said First Schedule	Nil.	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tyres are intended to be used as original equipment tyres in such saloon cars by the manufacturers of such cars; (ii) such tyres have been prominently marked "O.E."; and (iii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed in respect of such tyres.
5.	I (2)	Tyres (excluding flaps) for agricultural tractors, falling under sub-item II of Item No. 34 of the said First Schedule	Nil.	If— (i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tyres are intended to be used as

1	2	3	4	5
			original equipment tyres in such agricultural tractors by the manufacturers of such tractors; (ii) such tyres have been prominently marked "O.E."; and (iii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed in respect of such tyres.	
6.	I(2) Tyres for tractors including agricultural tractors, falling under sub-item II of Item No. 34 of the said First Schedule	Twenty-five per cent ad valorem	—	
7.	I(3) Tyres for trailers, falling under sub-item III of Item No. 34 of the said First Schedule			
	(i) tyres for trailers of agricultural tractors	Twenty-five per cent ad valorem	—	
	(ii) Tyres for trailers of tractors of the following sizes— 7.50—16 and 9.00—16	Twenty-five per cent ad valorem	—	
8.	II. Tyres for cycles and cycle rickshaws, falling under Item No. 68 of the said First Schedule	Nil.		
9.	III. Tyres specifically designed for use of animal drawn vehicles or hand carts	Nil.	Provided that a durable prominent marking of the letters "ADV" has been made on every such tyre.	

Explanation.—For the purposes of this notification—

(a) 'agricultural tractors' means—

(i) a tractor of draw Bar Horse Power 50 V. and below;

(ii) a tractor of Draw Bar Horse Power exceeding 50 if an Officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tractor is used solely for agricultural purposes;

(b) "powered cycle" or "powered cycle rickshaw" means a mechcanically propelled cycle or, as the case may be mechanically propelled cycle rickshaw, which may also be pedalled, if any necessity arises for so doing.

[F.No 1349/1/82-TRU]

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982